

न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन वाद-42 / 2013

श्याम बिहारी मिश्र वगैरह.....वादीगण
बनाम

श्रीमति देवन्ती देवी वगैरह.....प्रतिवादीगण

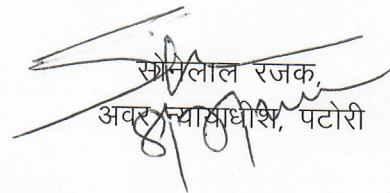
आदेश

08.07.22 पुकार पर उभय पक्षों के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के आवेदन दिनांक-03.06.2022, अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 पर उभय पक्षों को सुना गया। प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन के संबंध में कोई विरोध नहीं किया गया है।

अपने आवेदन में वादी ने यह निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं०-16 मो० अंजनी देवी की मृत्यु दिनांक- 12.04.2021 हो गया है जिनके पति की मृत्यु पूर्व में ही हो चुका है तथा जिनके स्थान पर उनके तीनों पुत्रों को वादपत्र में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मृत प्रतिवादी सं०-16 का नाम विलोपित करते हुए उनके स्थान पर उनके विधिक उत्तराधिकारियों का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। वादी का आवेदन शपथ-पत्र से समर्थित है एवं परिसीमा के आधार पर प्रतिवादी द्वारा उक्त आवेदन का कोई विरोध नहीं किया गया है एवं प्रस्तावित विधिक उत्तराधिकारियों का प्रतिस्थापन वाद के अंतिम न्याय-निर्णयन हेतु आवश्यक है। अतः वादी का आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय तदनुसार मृत प्रतिवादी सं०-16 के स्थान पर उनके वारिसान का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित करें। वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु सम्मन की अपेक्षिताएं दाखिल करें।

वाद दिनांक-09.09.2022 वास्ते करने दाखिल सम्मन की अपेक्षिताएं।


संजयलाल रजक,
अवर न्यायाधीश, पटोरी